

149118 - धर्म को गाली देने वाले आदमी का हुक्म और अगर वह तौबा कर ले तो क्या उसे क़त्ल किया जायेगा ?

प्रश्न

एक आदमी है जो दीन की बातों को नहीं जानता है और दीन को गाली देता है तो उसका क्या हुक्म है ? और यदि उसे अपनी गलती का पता चल जाए तो उसे क्या करना चाहिए ?

विस्तृत उत्तर

उत्तर:

हर प्रकारकी प्रशंसा औरस्तुति केवल अल्लाहके लिए योग्य है।

“दीन को गालीदेना बड़ा कुफ़्र(घोर नास्तिकता)और इस्लाम धर्मसे पलट जाना (अधर्मीहो जाना) है,हम ऐसी स्थितिसे अल्लाह की पनाहमांगते हैं,यदि मुसलमानअपने दीन को गालीदे,या इस्लामको गाली दे,या इस्लामकी निंदा व आलोचनाकरे और उसकी बुराईकरे,या उसकाउपहास करे तो यहइस्लाम से पलटजाना (विधर्म होजाना) है,अल्लाह तआला नेफरमाया :

﴿قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة : 65-66]

“आप कहदीजिए, क्या तुमअल्लाह, उसकी आयतोंऔर उस के रसूल कामज़ाक़ उड़ाते थे?अब बहाने नबनाओ,निःसन्देहतुम ईमान के बाद(फिर) काफिर हो गए।”(सूरतुत्तौबा:65-66)

सभीविद्वान इस बातपर एक मत हैं किजब भी मुसलमानदीन को गाली देगाया उसकी निंदाऔर बुराई करेगा,या पैगंबर सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमको गाली देगा याउनकी निंदा औरबुराई करेगा,या उनका उपहासकरेगा, तो इसकेकारण वह मुर्तद(स्वधर्मत्यागी) वकाफिर हो जायेगा,उसका रक्त और धनहलाल (वैध) होगा,उस से तौबा करवायाजायेगा,यदि उसने तौबाकर लिया तो ठीक,अन्यथा उसे क़त्लकर दिया जायेगा।

जबकिकुछ विद्वानोंका कहना है कि : निर्णयऔर फैसले की दृष्टिसे उसके लिए तौबानहीं है बल्किउसे क़त्ल कर दियाजायेगा, लेकिनअधिक उचित बातयह है कि यदि अल्लाहने चाहा तो जब वहतौबा का प्रदर्शनकरेगा और तौबाकी घोषणा करेगाऔर अपने सर्वशक्तिमानपालनहार की ओरपलट आयेगा तो उसेस्वीकार किया जायेगा,यदि शासक ने दूसरोंको उस काम से बाज़रखने के लिए उसेक़त्ल कर दिया तोकोई बात नहीं है,जहाँ तकउसके और अल्लाहके बीच तौबा कामामला है तो वहसही है,यदिउसने सच्ची तौबाकर ली तो उसकी तौबा(पश्चाताप) उसकेऔर अल्लाह के बीचसही है यद्यपिशासक ने उसे दीनके प्रति लापरवाहीऔर दीन को गालीदेने का द्वारबंद करने के लिएक़त्ल कर दिया हो।

उद्देश्य यह है कि दीन को गाली देना, दीन या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की निंदा और बुराई करना, या उसका उपहास करना मुसलमानों की सर्वसहमति के साथ स्वधर्म त्याग और महान कुफ्र (नास्तिकता) है, ऐसे आदमी से तौबा करवाया जायेगा, यदि उसने तौबा कर लिया तो अल्लाह तआला उसकी तौबा को स्वीकार कर लेगा और उसे क्षमा कर देगा, रही बात इसकी कि उसे दुनिया में कत्ल किया जायेगा है या कत्ल नहीं किया जायेगा तो इस मामले में विद्वानों के बीच मतभेद है जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं।" अंत हुआ।

आदरणीय शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह